(13)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भूअभिलेख अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संः–इन्तकाल अपील नं0 211/2022 प्रस्तुति दिनांकः–29.07.2022

बलवन्त पुत्र श्री रजिराम जाति जाट निवासी घमूड़ावाली हाल मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

.....अपीलार्थी

बहक

1. श्रीमति मोनू कंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री शनिदेव सिंह पुत्र लालसिंह } नाबालिग जरिये कुदरतिबली माता श्रीमति मोनूकंवर पत्नी लालसिंह
4. सुश्री माया कंवर पुत्री लालसिंह } जाति राजूपत निवासी मोलकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीमान तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमान सरपंच, ग्रांम पंचायत मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अर्जूनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

.....उतरवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपस्थितिः–

1. श्री राकेश सारस्वत, एडवोकेट (अपीलार्थी)
2. श्री राकेश मनचंदा, एडवोकेट (उतरवादीगण 1 ता 4)

निर्णय

दिनांकः–09.01.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सूरतगढ के समक्ष अपील के साथ धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मोकलसर ख0न0 205/38.216 है0, ख0न0 216/14.800 है0 कुल 53.016 है0 भूमि में उतरवादी नं0 1 ता 4 के पूर्वज श्री लालसिंह पुत्र श्री उतम सिंह के नाम 12 बीघा 3–1/2 बिस्वा भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। स्व0 लालसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 30.12.1982 को अपीलार्थी को बैय कर दी थी एवं रजिस्टर्ड बैयनामा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके अदालत सब रजिस्ट्रार सूरतगढ में अपीलार्थी के हक में तस्दीक करवा दिया था। मौके पर कब्जा अपीलार्थी को सुपूर्द कर दिया था। जो आज तक कायम हैं। रजिस्टर्ड बैयनामा की चित्रप्रति साथ में प्रस्तुत है। स्व0 लालसिंह द्वारा अपने हिस्से का बैयनामा निष्पादित करने के पश्चात् एवं मौके पर खरीददार का कब्जा होने के पश्चात् उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा अपने हक में विरासतन इन्तकाल नं0 697 दिनांक 05.11.2012 दर्ज करवाया जाना स्पष्ट रूप से तथ्यो को छिपाकर अवैधानिक रूप से इन्तकाल स्वीकार करवाया हैं। अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर खरीदशुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करने हेतु कई बार पटवारी हल्का को बैयनामा की चित्रप्रति के साथ दरख्वास्त प्रस्तुत की हैं प्रत्येक बार पटवारी हल्का ने यही मौखिक आश्वासन दिया कि जब भी पंचायत की मीटिंग होगी, बैयनामा के आधार पर खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज कर दिया जावेंगा।

.....लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पटवारी हल्का के मौखिक आश्वासन के बावजूद स्व0 श्री लालसिंह की बिकी हुई एवं अपीलार्थी के कब्जे शुदा भूमि का इन्तकाल नं0 697 विरासतन पटवारी हल्का द्वारा महज अपीलार्थी को आर्थिक, मानसिक व सामाजिक नुकसान पहुचाने की नियत से जानबुझकर दर्ज किया गया हैं। अतः अपील स्वीकार कर इन्तकाल नं0 697 दिनांक 05.11.2012 निरस्त फरमाया जावें एवं बैयनामा दिनांक 30.12.1982 के आधार पर नवीन इन्तकाल अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जावें।

धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षीत रख अपील, प्रकरण सं0 219/2013 पर दर्ज रजिस्टर की गई । उतरवादीगण को नोटिस जारी किये गये। उतरवादीगण 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री राकेश मनचंदा उपस्थित आये। अधिवक्ता उतरवादी नं0 1 के द्वारा उतरवादी नं0 3 व 4 के नाबालिग होने के कारण अपील नही चलने के प्रश्न पर प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2013 को पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। शेष उतरवादीगण के बाद सूचना हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2013 को प्रार्थना पत्र आ0 21 नियम 27 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि बैयनामा का इन्तकाल नं0 733 अपीलार्थी के नाम दर्ज हो चुका हैं। जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन नही होने के कारण उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा अपने नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। जो दिनांक 19.12.2014 को स्वीकार कर इन्तकाल नं0 733 शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उतरवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2013 को दिनांक 31.12.2014 को निरस्त किया जाकर न्यायहित में उतरवादी नं0 3 व 4 को नाबालिग दर्ज कर संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश हुये। जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा क्षैत्राधिकार के प्रश्न पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2017 पर बहस सुनने के पश्चात् निर्णय दिनांक 16.05.2017 को विचाराधीन अपील का क्षैत्राधिकार के प्रश्न पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को रिमाण्ड कर दिया गया। जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष प्रकरण सं0 126/2017 पर दर्ज होने पर अधिवक्ता उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सूरतगढ के निर्णय दिनांक 16.05.2017 के खिलाफ माननीय न्यायाय संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील की गई जो कि प्रकरण सं0 76/2017 पर दर्ज की जाकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.05.2022 द्वारा जैर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को रिमाण्ड कर दिया गया। जो कि प्रकरण सं0 211/2022 पर दर्ज होकर आज जैरकार है।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर दोनो पक्षो के अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि रोही मोकलसर ख0न0 205/38.216 है0, ख0न0 216/14.800 है0 कुल 53.016 है0 भूमि में उतरवादी नं0 1 ता 4 के पूर्वज श्री लालसिंह पुत्र श्री उतम सिंह के नाम 12 बीघा 3–1/2 बिस्वा भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। स्व0 लालसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 30.12.1982 को अपीलार्थी को बैय कर दी थी एवं रजिस्टर्ड बैयनामा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके अदालत सब रजिस्ट्रार सूरतगढ में अपीलार्थी के हक में तस्दीक करवा दिया था।

.....लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मौके पर कब्जा अपीलार्थी को सुपूर्द कर दिया था। जो आज तक कायम हैं। रजिस्टर्ड बैयनामा आज भी प्रभावी है। उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा आज तक इस बैयनामा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी हैं। अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर खरीदशुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करने हेतु कई बार पटवारी हल्का को बैयनामा की चित्रप्रति के साथ दरख्वास्त प्रस्तुत की हैं प्रत्येक बार पटवारी हल्का ने यही मौखिक आश्वासन दिया कि जब भी पंचायत की मीटिंग होगी, बैयनामा के आधार पर खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज कर दिया जावेंगा। पटवारी हल्का के मौखिक आश्वासन के बावजूद स्व0 श्री लालसिंह की बिकी हुई एवं अपीलार्थी के कब्जे शुदा भूमि का इन्तकाल नं0 697 विरासतन उतरवादी नं0 6 द्वारा दिनांक 05.11.2012 को महज अपीलार्थी को आर्थिक, मानसिक व सामाजिक नुकसान पहुचाने की नियत से जानबुझकर उतरवादी नं0 1 ता 4 के नाम दर्ज किया गया हैं। जैर अपील रकबा जो वर्तमान में ख0न0 205/33.902 है0, ख0न0 216/14.800 है0, ख0न0 833/205/0.266 है0, ख0न0 834/205/4.048 है0 कुल 53.016 है0 में पैमूद हो चुका है। जे आज उतरवादी नं0 1 ता 4 के नाम से चला आ रहा है। अपीलार्थी को सर्वप्रथम इसकी जानकारी दिनांक 30.01.2013 को पटवारी हल्का से मिली। जानकारी मिलते ही इन्तकाल नं0 697 की नकल हेतु आवेदन करने पर नकल दिनांक 13.02.2013 को मिली। नकल मिलते ही शीघ्रताशीघ्र अपील पेश कर दी। अतः देरी के कारण को क्षमा करते हुये अपील स्वीकार कर इन्तकाल नं0 697 दिनांक 05.11.2012 निरस्त फरमाया जावें एवं बैयनामा दिनांक 30.12.1982 के आधार पर नवीन इन्तकाल अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जावें। पुष्टि में **RBJ 2018 P 446** पेश की।

अधिवक्ता उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा जैर अपील मियाद बाद प्रस्तुत की गई है। उतरवादी नं0 1 ता 4 के पूर्वज लालसिंह द्वारा कभी भी अपीलार्थी के हक में कोई बैयनामा निष्पादित नही करवाया है। कब्जा आज भी जैर अपील रकबा पर उतरवादी नं0 1 ता 4 का हैं। जिस पर बैंक ऋण है। अपीलार्थी द्वारा बैयनामा का नियमन भी नही करवाया गया है। अपीलार्थी को दावा के माध्यम से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करनी चाहिये। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमाई जावें।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र का विरोध उतरवादी नं 1 ता 4 द्वारा लिखित में शपथ पत्र के साथ नही किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली के अवलोकन से साबित हैं कि स्व0 लालसिंह के नाम से रोही मोकलसर के ख0न0 205/38.216 है0, ख0न0 216/14.800 है0 कुल 53.016 है0 भूमि में 12 बीघा 3–1/2 बिस्वा भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। स्व0 लालसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 30.12.1982 को उक्त भूमि अपीलार्थी को बैचान कर कब्जा मौके पर सुपूर्द कर दिया। जिसका इन्तकाल नं0 733 दिनांक 12.04.1983 को उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के हम में तस्दीक भी कर दिया गया था, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्वीकृत इन्तकाल का अंकन नही होने के कारण उतरवादी नं0 6 द्वारा जैर अपील रकबा का विरासतन इन्तकान नं0 697 दिनांक 05.11.2012 को उतरवादी नं0 1 ता 4 के नाम से दर्ज कर दिया गया।

.....लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जो कि स्पष्ट रूप से प्रभाव शुन्य हैं एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त हैं कि स्वामित्व अधिकार केवलमात्र सबसे पूर्व किये गये बैयनामा के आधार पर स्थापित होगें तथा उतरवादी नं0 1 ता 4 द्वारा बैयनामा को सक्षम अदालत में चुनौती भी नही दी है। इसलिये पश्चात्वर्ती विरासतन इन्तकाल नं0 697 के आधार पर अपीलार्थी को उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता। नवीन जमाबंदी के अवलोकन करने पर पाया गया कि जैर अपील रकबा उतरवादी नं0 1 ता 4 के नाम से ख0न0 205/33.902 है0, ख0न0 216/14.800 है0, ख0न0 833/205/0.266 है0, ख0न0 834/205/4.048 है0 कुल 53.016 है0 में पैमूद हो चुका हैं एवं वर्तमान में उतरवादी नं0 1 ता 4 का रकबा बैकं के ऋण पेटे रहन भी नही है। अतः अपील अपीलार्थी हम स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आदेश दिया जाता हैं कि उतरवादी नं0 1 ता 4 के नाम से स्व0 लालसिंह के देहान्त पश्चात् दर्ज विरासतन इन्तकाल नं0 697 दिनांक 05.11.2012 निरस्त किया जाता हैं एवं जैर अपील रकबा रोही मोकलसर ख0न0 205/33.902 है0, ख0न0 216/14.800 है0, ख0न0 833/205/0.266 है0, ख0न0 834/205/4.048 है0 कुल 53.016 है0 में उतरवादी नं0 1 ता 4 का नाम कलमजन कर बैयनामा दिनांक 30.12.1982 के आधार पर अपीलार्थी के नाम नवीन इन्तकाल दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ को आदेशित किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिंनाक 09.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं
भूअभिलेख अधिकारी सूरतगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)